न्यायालय सहायक जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या / 36 / 2019

1. मै0 संदीप टाउनशिप प्रा0लि0 रजि0 ऑ0 ए–133, तारानगर, झोटवाडा, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि राजेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री पी.बी. गुप्ता, वर्तमान पता ओमेक्स सिटी (क्षेत्रिय कार्यालय), 111 माईलस्टोन, नियर बड के बालाजी बस स्टेण्ड, जयपुर–अजमेर एक्सप्रेस–वे, जयपुर, राजस्थान 302026

–वादी

बनाम

1. घासीराम
2. हरिनारायण
3. ब्रदीनारायण
4. कैलाशचन्द
5. बंशीलाल

   समस्त पुत्रान् स्व0 श्री ग्यारसा, समस्त जातियान हरियाणा ब्राह्मण, समस्त निवासीयान ग्राम बगरू खुर्द, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दावा बाबत् विभाजन अन्तर्गत
धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांक: 17.10.2022**

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि :–

वादी कम्पनी मैसर्स संदीप टाउनशिप प्रा0लि0 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मिटिंग दिनांक 24.04.2019 को [illegible] एक रेज्यूलेशन पारित किया गया है जिसमें श्री राजेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री [illegible] गुप्ता को उक्त मैसर्स संदीप टाउनशिप प्रा0लि0 (वादी कम्पनी) की ओर से वाद हाजा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है इसलिए वाद हाजा उक्त वादी कम्पनी संदीप

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:38:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

टाउनशिप प्रा0लि0 द्वारा श्री राजेन्द्र गुप्ता के मार्फत प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 473 रकबा 0.4100 हैक्टेयर वाके ग्राम बगरू खुर्द, पटवार हल्का भम्भोरिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 2/3 है तथा उक्त कृषि भूमि के शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर मनबट के आधार पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वादी अपनी भूमि को विकसित करना चाहता है तथा विभाजन करवाना चाहता है तथा खाता व खसरा नंबर अलग–अलग कायम करवाना चाहता है जिससे लगान अदायगी में अन्य सहकाश्तकारों के द्वारा अदम–अदायगी परेशानी से बचा जा सकें। वादी ने दिनांक 02.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से उक्त भूमि का सहमति के आधार पर विभाजन करवाने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने सहमति के आधार पर विभाजन करवाने हेतु साफ इन्कार कर दिया इस कारण उपरोक्त वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नंबर 473 रकबा 0.4100 हैक्टेयर वाके ग्राम बगरू खुर्द, तहसील सांगानेर जिला जयपुर का विभाजन विधिवत (मीटस एण्ड बाउण्डस) रूप से फरमाय जावें एवं खाता व लगान अलग–अलग करवाया जावें। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से दिलवाया जावे तथा अन्य कोई अनुतोष जो श्रीमान् न्यायालय वादी के हक में उचित समझे दिलवाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई। बावजूद सूचना प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी द्वारा दस्तावेजात सूची के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी [illegible] 72–75 वाके ग्राम बगरूखुर्द पटवार हल्का भम्भोरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र [illegible] तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के खसरा नंबर 473 रकबा 0.4100 में वादी एवम् प्रतिवादीगण सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:38:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

तकासमा नही हुआ है इसलिए वाद में तकासमा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 473 रकबा 0.4100 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.4100 हैक्टेयर वाकै ग्राम बगरूखुर्द पटवार हल्का भम्भोरिया भू0अ0नि0 क्षेत्र ठिकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 8123 दिनांक 20.09.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है :–

वर्तमान जमाबंदी के अनुसार प्रविष्टिया

खाता सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
76	कैलाशचन्द पुत्र ग्यारसा हि0 1/15, घासीराम पुत्र ग्यारसा हि0 1/15, बद्रीनारायण पुत्र ग्यारसा हि0 1/15, बंशीलाल पुत्र ग्यारसा 1/15, हरिनारायण पुत्र ग्यारसा हि0 1/15, हरि.ब्रा.सा0देह खातेदार मै0 संदीप टाउनशिप प्रा0लि0 रजि0 ऑ0 ए–133 तारानगर झोटवाडा जरिये निदेशक कृष्णकुमार पुत्र मुंशीराम अग्रवाल (हरियाणा) हि0 खातेदार	473	0.41	बारानी 2	2.46
	योग	1	0.41		2.46

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:38:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तावित कुर्रेजात (विभाजन) प्रस्ताव :

क्र.सं.	ख.नं.	रकबा	किस्म भूमि	लगान	खातेदार का नाम
1	473/1	0.2733	बारानी 2		मै0 संदीप टाउनशिप प्रा0लि0 रजि0 ऑ0 ए-133 तारानगर झोटवाडा जरिये निदेशक कृष्णकुमार पुत्र मुंशीराम अग्रवाल (हरियाणा) खातेदार
2	473/2	0.1367	बारानी 2		कैलाशचन्द पुत्र ग्यारसा हि0 273/1367, घासीराम पुत्र ग्यारसा हि0 273/1367, बद्रीनारायण पुत्र ग्यारसा हि0 273/1367, बंशीलाल पुत्र ग्यारसा 274/1367, हरिनारायण पुत्र ग्यारसा हि0 274/1367, हरि.ब्रा.सा0देह खातेदार

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

पत्रावली वास्ते आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के अनुपस्थित रहने पर पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अतः प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवम् नक्शा ट्रेस के आधार पर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जा[illegible]।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 [illegible] लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:38:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

मै0संदीप टाउनशिप प्रा0लि0

बनाम

घासीराम वगै.

दावा बाबत् विभाजन अन्तर्गत

धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर – दावा/36/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

कुर्रेजात रिपोर्ट एवम् नक्शा ट्रेस के आधार पर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.10.2022 को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय)

दस्तखत ....सहायक कलक्टर

ओहदा ....जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:38:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner